झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: **आदेश** ::

आदेश सं0–5/आरोप–1–39/2017 का०–10888/राँची, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017

श्री देवेन्द्र कुमार, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला–राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनोहरपुर, प0 सिंहभूम, चाईबासा द्वारा देवघर भूमि घोटाले से संबंधित वाद सं0–RC-15(A)/2012-D में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इनके द्वारा दिनांक 01.03.2017 को Court of the 11th Additional Sessions Judge-cum-Special Judge, CBI Dhanbad के समक्ष आत्मसमर्पण करने एवं न्यायिक हिरासत में लिये जाने के कारण श्री कुमार को विभागीय आदेश सं0–5597, दिनांक 20.04.2017 द्वारा निलंबित किया गया है।

2. माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक 08.08.2017 को नियमित जमानत प्रदान किये जाने के पश्चात् श्री कुमार दिनांक 09.08.2017 को न्यायिक हिरासत से मुक्त कर दिये गये हैं तथा उक्त वाद में CBI द्वारा आरोप पत्र दायर कर दिया गया है।

3. अतः श्री देवेन्द्र कुमार, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनोहरपुर, प0 सिंहभूम, चाईबासा, सम्प्रति निलंबित को न्यायिक हिरासत से मुक्त कर देने के पश्चात् झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–9(3)(i) के तहत् न्यायिक हिरासत से मुक्त होने की तिथि से निलंबन मुक्त किया जाता है।

4. निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में निर्णय न्यायालय के आदेश से प्रभावित होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
24.10.17
(सूर्य प्रकाश)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5/आरोप–1–39/2017 का०– 10888/राँची, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल/उपायुक्त, चाईबासा/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, चाईबासा/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 (चारित्री कोषांग)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5/श्री देवेन्द्र कुमार, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनोहरपुर, प0 सिंहभूम, चाईबासा, सम्प्रति– निलंबित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.10.17
सरकार के संयुक्त सचिव।